न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 37/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री शिवलाल पिता घीसाराम पंवार निवासी सेक्टर 5 एफ 22, तिलकनगर भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 30/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी के विरूद्ध दिनांक 08.05.2018 को अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 04/04/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 916254 संलग्न कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 29.05.2018 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने जवाब अपने पत्रांक/सू0प्र0/2018/37/18/723 दिनांक 30.05.2018 से बिन्दु संख्या 01 से लगायत 7 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का वर्णन अंकित है।

अपीलार्थी अनुपस्थित प्रत्यर्थी को सुना गया। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 04.04.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें दर्ज 07 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। जो तैयार कर अपने पत्रांक/सूचना/2018/37/18/723 दिनांक 30.05.2018 से अपीलार्थी को निःशुल्क हमदस्त उपलब्ध कराए जाने का वर्णन जवाब में अंकित किया जिसकी प्रति

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जवाब के साथ संलग्न है। प्रत्यर्थी ने सूचना विलम्ब से तैयार कर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी की अपील के साथ संलग्न आवेदन में अंकित 7 बिन्दुओं की सूचना तैयार कर अपने पत्रांक/सूचना/2018/37/18/723 दिनांक 30.05.2018 से सीधे ही अपीलार्थी को हमदस्त उपलब्ध कराये जाने का वर्णन अंकित है। सूचना अपीलार्थी ने प्राप्त की उसकी पावती जवाब के साथ संलग्न है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के कार्यालय में जो सूचना तैयार थी वह अपीलार्थी को हमदस्त उपलब्ध कराया जाना सिद्ध होता है। सूचना समयावधि में नहीं दिए जाने से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है ऐसी स्थिति में अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 30/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा